रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24122024-259620
SG-DL-E-24122024-259620

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 304
No. 334]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946	[N. C. T. D. No. 304

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024

सं. फा. **2(3)/ आरआर/2022/एस –IV/2036**.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या एफ.27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) को संशोधित करते हैं, अर्थातः –

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः

(i) इन नियमों को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024'' कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन (परिभाषाएं) :

''उक्त नियमों'' के नियम 2 में विद्यमान खंड (ख) एवं (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(ख) वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0) के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का अभिप्राय''उपराज्यपाल'' से है, ग्रेड–I और ग्रेड–II का अर्थ ''मुख्य सचिव'' से है तथा ग्रेड–III और ग्रेड–IV के संबंध में इन नियमों के प्रयोजनार्थ संबंधित ''विभागाध्यक्ष'' हैं।''

''(ङ) ''संवर्ग'' का अभिप्राय अनुसूची–I में निर्दिष्ट सेवा के पांच ग्रेडों के पदों के समूह से है।''

3. नियम 3 का संशोधन (सेवा का गठन और उसका वर्गीकरण) :

''उक्त नियमों'' के नियम 3 के उप–नियम (1) एवं (2) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा में निम्नलिखित ग्रेड शामिल हैं, अर्थात्:

वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0)

ग्रेड– I

ग्रेड– II

ग्रेड– III

ग्रेड–IV

"(2) वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0) के पद केंद्रीय सिविल पद समूह 'क' (राजपत्रित) होंगे, ग्रेड–I के पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) होंगे एवं ग्रेड–II के पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) होंगे और ग्रेड–III और IV के पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह–'ग' (अराजपत्रित) होंगे।"

4. नियम 7 का संशोधन (सेवा का भविष्य अनुरक्षण)

''उक्त नियमों'' के नियम 7 के उप–नियम (2) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''2 (क) वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0) के सभी पद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से ग्रेड–I के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ख) ग्रेड–I के सभी पद अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से ग्रेड–II के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ग) (i) ग्रेड–II के 33प्रतिशत पद अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से शैक्षिक और अन्य योग्यता और आयु सीमा के आधार पर परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) ग्रेड–II के 52प्रतिशत पद सेवा के ग्रेड–III के अधिकारियों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्व विभाग के प्रशिक्षित कानूनगो से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से 'पदोन्नति' द्वारा भरे जाएंगे।

(iii) ग्रेड–II के 15प्रतिशत पद सेवा के ग्रेड–III के अधिकारियों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्व विभाग के प्रशिक्षित कानूनगो से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे।

(घ) (i) ग्रेड–III के 85प्रतिशत पद सेवा के ग्रेड–IV के अधिकारियों से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) ग्रेड–III के 15प्रतिशत पद सेवा के ग्रेड–IV के अधिकारियों से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे।

(ङ) (i) ग्रेड–IV के 85प्रतिशत पद अनुसूची–II में निर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य योग्यता एवं आयु सीमा के आधार पर परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) ग्रेड–IV में 15प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 में ग्रुप सी कर्मचारियों से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

5. नियम 9 का संशोधन (परिवीक्षा)

"उक्त नियमों" के नियम 9 के उप–नियम (1) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(1) सेवा में नियुक्ति होने पर प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह ग्रेड–I से वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0) में पदोन्नति द्वारा हो या ग्रेड–II और ग्रेड–IV में सीधी भर्ती द्वारा हो या ग्रेड–III से ग्रेड–II में पदोन्नति द्वारा हो, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसरण में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता हैः

अलावा यह भी उपबंधित है कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण के साथ सेवा के संबंधित सदस्य को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।''

6. नियम 10 का संशोधन (सेवा के लिए नियुक्ति)

"उक्त नियमों" के नियम 10 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"10. सेवा के लिए नियुक्तिः

सेवा में सभी नियुक्तियाँ सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0), ग्रेड–I, ग्रेड–II, ग्रेड–III और ग्रेड–IV पर की जाएंगी, न कि सेवा में शामिल किसी विशिष्ट पद के निमित्त।"

7. अनुसूची–I का संशोधन

"उक्त नियमों" की अनुसूची–I को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुसूची–I

[नियम 3 और नियम 4 (1) देखें],

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा के विभिन्न ग्रेडों में ग्रेड, वर्गीकरण, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर तथा ड्यूटी पदों की संख्या

क्र.सं.	सेवा के ग्रेड और वर्गीकरण	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या *
1.	**वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0सर0दि0 अधी0से0)**	बिक्री कर अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, रजिस्ट्रार (वैट ट्रिब्यूनल), सतर्कता अधिकारी, सहायक निदेशक, चुनाव अधिकारी, एसडीएम (मुख्यालय), उप सचिव, बीडीओ, अध्यक्ष के सचिव (दिल्ली विधानसभा), उप निदेशक, सहायक आयुक्त, वरिष्ठ विपणन आसूचना अधिकारी, रजिस्ट्रार (राज्य उपभोक्ता निवारण विवाद आयोग), चुनाव अधिकारी, रजिस्ट्रार ('एमएएमसी), उप चिकित्सा अधीक्षक (डीडीयू अस्पताल), कार्यकारी अधिकारी (तिब्बिया कॉलेज)। उप चिकित्सा अधीक्षक (जीटीबी अस्पताल), जनसंपर्क अधिकारी, अधीक्षक (लड़कों का छात्रावास/लड़कियों का छात्रावास)।	स्तर–11	217**
2	ग्रेड– 1 (केंद्रीय सिविल सेवा, लिपिकीय, राजपत्रित, समूह–ख)	अनुभाग अधिकारी मुख्य सचिव के नि0स0 सहित, माल एवं सेवा कर अधिकारी, निरीक्षक विधिक माप पद्धति, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, उप पंजीयक, तहसीलदार, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी, सहायक मनोरंजन कर अधिकारी, सहायक विलासिता कर अधिकारी, विपणन निरीक्षण अधिकारी (एमआईओ), सहायक आयुक्त, उद्योग, सहायक मुख्य स्टाम्प लेखा परीक्षक (राजस्व), मुख्य निरीक्षक सिविल आपूर्ति, सहायक बिक्री कर अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, कल्याण अधिकारी, सहायक श्रम अधिकारी और मुख्य निरीक्षक, दुकान / निरीक्षक नाप एवं तोल इत्यादि	स्तर –8 (रु. 47600–151100/–) गैर–प्रकार्यात्मक वेतनमानः स्तर –10 (रु. 56100–177500/–) ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर	**1636**

3	ग्रेड– II केंद्रीय सिविल सेवा, लिपिकीय अराजपत्रित, समूह–ख)	सहायक अनुभाग अधिकारी, माल एवं सेवा कर निरीक्षक, आबकारी एवं मनोरंजन कर निरीक्षक, नायब तहसीलदार, स्टाम्प लेखा परीक्षक, श्रम निरीक्षक, निरीक्षक (नाप एवं तोल), वरिष्ठ निरीक्षक, लेखा परीक्षक, निरीक्षक (विपणन), सहायक निरीक्षक स्थानीय अधिकारी / सहायक निरीक्षक स्थानीय निधि, अधीक्षक / सहायक अधीक्षक / सहायक अनुभाग अधिकारी / आंतरिक लेखा परीक्षक /निरीक्षक मुख्यालय एवं संबद्ध पदों, प्रमुख पेशी क्लर्क, शाखा प्रभारी (डीसी कार्यालय), उप रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निरीक्षक / लेखा परीक्षक, संपदा प्रबंधक निरीक्षक नागरिक आपूर्ति, सहायक प्रबंधक एम्पोरियम, निरीक्षक उद्योग / भूमि / ऋण / लोहा और इस्पात, अनुसंधान सहायक, औद्योगिक निरीक्षक, निरीक्षक (हरिजन कल्याण), पंचायत निरीक्षक, निरीक्षक शिकायत /प्रैस इत्यादि	स्तर –7 (रु. 44900–142400 / –)	2365
4	ग्रेड– III केंद्रीय सिविल सेवा, लिपिकीय अराजपत्रित, समूह–ग)	वरिष्ठ सहायक, रीडर (राजस्व), उप–निरीक्षक (आबकारी), उप–निरीक्षक (आरसीएस), उप–निरीक्षक (डब्ल्यू एंड एम), उप–निरीक्षक (श्रम) , सहायक लेखा परीक्षक, लेखाकार सहायक अधीक्षक / प्रधान लिपिक / सहायक प्रभारी / लिपिक प्रभारी / सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक /वरिष्ठ सहायक और संबद्ध पद, लेखा परीक्षक / निरीक्षक / मूल्यांकन सहायक, दुकान और स्थापना के निरीक्षक, श्रम कल्याण पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक माप एवं तोल / ब्लॉक स्तरीय विस्तार अधिकारी / सहायक ग्राम इकाई संगठन इत्यादि	स्तर–4 (रु. 25500–81100 / –) गैर–प्रकार्यात्मक चयन ग्रेडः स्तर –6 (रु. 35400–112400 / –) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर इस शर्त के अधीन कि ग्रेड में कुल संख्या का स्वीकृत संख्या बल का 30 प्रतिशत तक सीमित होगा ।	**4202**
5.	ग्रेड– IV केंद्रीय सिविल सेवा, लिपिकीय अराजपत्रित, समूह–ग	रीडर, उप निरीक्षक (आबकारी), कनिष्ठ ऑडिटर, पंचायत सचिव, कनिष्ठ सहायक / स्टेनो टाइपिस्ट और सभी संबद्ध पद, उप निरीक्षक / ऑर्गनाइजर / कनिष्ठ लेखा परीक्षक, सेल्समैन इत्यादि	स्तर –2 (रु. 19900–63200 / –)	**4245**

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय

**** ऐसे 217 पदों पर तैनात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के अवकाश / प्रतिनियुक्ति / प्रशिक्षण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासन की कार्यात्मक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में तैनाती के लिए ऐसे अतिरिक्त 30प्रतिशत पद (अर्थात् 65 पद) आरक्षित रखता है, जिसे माननीय उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से लिया जा सकता है।**

अनुलग्नक–I का संशोधन (जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है)

"उक्त नियमों" के अनुलग्नक–I को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभागों में सृजित विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत संख्याबल				
		वरिष्ठ वेतनमान (रा0रा0क्षे0दि0स0 अधी0से0)	ग्रेड–I	ग्रेड–II	ग्रेड–III	ग्रेड–IV
1.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल	1	1	2	2	1
2.	अरुणा आसफ अली अस्पताल	1	0	1	6	12
3.	आचार्य भिक्षु अस्पताल	0	1	1	2	5
4.	प्रशासनिक सुधार विभाग	2	1	0	0	2
5.	अम्बेडकर तकनीकी संस्थान	0	1	2	6	9
6.	पुरातत्व	0	0	1	2	2
7.	अभिलेखागार	0	0	1	3	3
8.	कला, संस्कृति एवं भाषा	0	0	0	0	0
9.	अतर सेन अस्पताल	0	0	0	1	2
10.	लेखा परीक्षा	0	1	27	47	17
11.	बाबू जगजीवन राम अस्पताल	0	1	1	6	10
12.	भगवान महावीर अस्पताल	1	1	1	3	6
13.	बी.आर.सुर (होम्यो) मेडिकल कॉलेज/अस्पताल	0	1	1	4	5
14.	बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल एवं कॉलेज	2	4	3	16	20
15.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जाफरपुर	0	1	2	6	11
16.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	14	80	72	96	102
17.	वन एवं वन्य जीव संरक्षण	0	4	3	11	11
18.	चिट फंड	0	2	1	4	2
19.	सेंट्रल जेल	0	15	28	57	79
20.	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	0	1	2	6	5
21.	कला महाविद्यालय	0	1	3	6	7
22.	दिव्यांगजन आयोग	0	1	0	0	1
23.	सहकारी समितियाँ	1	3	39	73	142
24.	दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय /मातृ एवं बाल अस्पताल, नसीरपुर	0	1	2	2	3
25.	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड	0	1	1	12	6
26.	दीपचन्द बन्धु अस्पताल	0	1	1	3	5
27.	नागरिक सुरक्षा निदेशालय	0	1	2	13	9
28	मंडलीय आयुक्त कार्यालय	11	83	109	231	281
29	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल	1	3	3	22	23
30	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	0	1	1	5	11
31	विकास	0	3	6	34	34
32	दिल्ली महिला आयोग	0	1	0	0	6
33	दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग	1	1	0	0	0
34	दिल्ली अग्निशमन सेवा	2	0	2	5	31
35	दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग	2				
36	परिवार कल्याण निदेशालय	0	1	1	9	17
37	डॉ0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान	0	1	1	3	7

38	होमगार्ड निदेशालय	0	1	1	10	13
39	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	2	1	21	52	59
40	सूचना एवं प्रचार निदेशालय	1	1	4	1	15
41	आयुष निदेशालय	0	0	3	4	0
42	दिल्ली फार्मेसी, विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थाऩ	0	2	1	3	3
43	दिल्ली लॉटरी	0	0	0	0	8
44	निदेशालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	0	1	0	0	15
45	दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग	0	0	2	1	2
46	दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान	1				
47	सर्तकता निदेशालय	1	2	8	2	10
48	औषधि नियंत्रण	0	0	4	13	12
49	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निदेशालय	0	2	6	10	13
50	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक आयोग,	3	1	0	0	0
51	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	11	10	17	20	30
52	समाज कल्याण निदेशालय	0	4	7	72	59
53	व्यापार एवं कर विभाग	79	149	129	221	299
54	शिक्षा निदेशालय	18	945	912	1408	755
55	रोजगार	1	24	12	29	132
56	पर्यावरण विभाग	1	1	2	3	2
57.	पर्यावरण (बागवानी)	0	0	1	4	0
58.	आबकारी	3	5	37	54	28
59.	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	3	84	324	133	281
60.	खाद्य सुरक्षा विभाग	0	1	3	26	13
61.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	0	2	4	7	17
62.	सामान्य प्रशासन विभाग	0	25	78	72	121
63.	जी.बी. पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ओखला	0	1	2	6	11
64.	गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल	2	1	5	29	44
65.	गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल	0	1	1	4	7
66.	गुरु नानक नेत्र चिकित्सा केंद्र	1	1	1	8	17
67.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	2	4	7	53	58
68.	निदेशालय गुरुद्वारा निर्वाचन आयोग	1	0	1	3	4
69.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	6	11	21	30
70.	स्वास्थ्य केंद्र–सह–प्रसूति अस्पताल	0	1	1	1	2
71.	उच्च शिक्षा निदेशालय	3	1	6	6	4
72.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	5	15	74	99
73.	उद्योग	0	19	69	53	51
74.	सूचना प्रौद्योगिकी	0	1	3	1	2
75.	जग प्रवेश चंद्र अस्पताल	1	1	1	3	6
76.	भूमि एवं भवन	3	6	24	24	52
77.	विधि ,न्याय एवं विधायी कार्य	0	2	4	6	10
78.	श्रम विभाग	0	5	46	52	65
79.	विधानसभा सचिवालय	6	1	8	12	19
80.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	0	1	1	7	12

81.	उपराज्यपाल, सचिवालय	3	10	17	13	10
82.	लोक नायक अस्पताल	1	8	7	42	99
83.	लोकायुक्त	0	1	2	2	3
84.	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	2	1	7	37	48
85.	महर्षि बाल्मीकि अस्पताल	0	1	1	5	8
86.	मदन मोहन मालवीय अस्पताल	0	1	1	3	10
87.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	0	1	15	71	69
88.	एन.सी. जोशी अस्पताल	0	1	1	4	2
89.	नेहरू (होम्यो) मेडिकल कॉलेज/अस्पताल	0	0	1	5	7
90.	अन्य पिछडा वर्ग आयोग	0	0	0	0	1
91.	पंचायत निदेशालय	5	2	10	10	0
92.	प्रधान लेखा कार्यालय	0	0	95	387	98
93.	जन–शिकायत आयोग	0	1	1	6	3
94.	योजना विभाग	0	0	3	3	17
95.	पुलिस शिकायत प्राधिकरण	1				
96.	ऊर्जा विभाग	1	0	2	3	2
97.	मद्य निषेध	0	0	0	2	2
98.	अभियोजन	0	1	2	2	17
99	ग्रामीण विकास	0	1	1	3	4
100.	पुनर्वास	0	0	4	23	15
101.	राव तुला राम अस्पताल	0	1	1	5	9
102.	राज्य चुनाव आयोग	0	1	0	0	0
103.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	1	1	3	10	19
104.	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल	0	1	1	3	5
105.	सुश्रुत ट्रामा सेंटर	0	0	0	2	0
106.	सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	0	0	0	0	0
107.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0	1	1	2	3
108.	परिवहन	2	11	21	68	184
109.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	3	27	8	149	181
110.	पर्यटन विभाग	1	1	1	1	1
111.	शहरी विकास (स्थानीय निकाय निदेशालय)	2	6	5	4	0
112.	शहरी विकास	4	2	30	15	24
113.	संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवाएं	4	2	2	8	8
114.	महिला एवं बाल विकास	2	5	7	72	114
115.	माप एवं तोल	0	12	13	38	15
	कुल	**217**	**1636**	**2365**	**4202**	**4245**

अनुसूची–II का संशोधन

"उक्त नियमों" के अनुसूची–II को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

अनुसूची–II

[नियम 7 देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा में ड्यूटी पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए तत्काल ग्रेड या निम्न ग्रेड में भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा।

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	चयन के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**वरिष्ठ वेतनमान** (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0)	चयन के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 (रु.47,600–1,51,100/–) के ग्रेड–**I** में सेवा के अधिकारियों से ।
2	ग्रेड– **I**	चयन के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –7 (रु. 44900–142400/–) के ग्रेड–**II** में सेवा के अधिकारियों से ।
3	ग्रेड– **II**	(i) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 52 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा (iii) 15 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (एलडीसीई)	**(i) सीधी भर्ती :** अनिवार्य योग्यताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उपाधि **टीप** 1:– अन्यथा चयन के आधार पर सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के विवेक पर शिथिलनीय हैं । आयु सीमा 21–30 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप 2**: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी), सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

			(ii) पदोन्नतिः नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/ –) में सेवा के ग्रेड – 3 में अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो से । **(iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई):** नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/ –) में सेवा के ग्रेड – 3 में अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो ग्रेड–II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
4	ग्रेड– **III**	85 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 15 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा	**(i) पदोन्नतिः** नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –2 (रु. 19900–63200/–) में सेवा के ग्रेड–IV में अधिकारियों से । **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई):** नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (रु 19900–63200/–) में सेवा के ग्रेड– IV में अधिकारी ग्रेड– III में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
5.	ग्रेड– **IV**	85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 15 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	(i) **सीधी भर्ती** क शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं– **अनिवार्य योग्यताः**

			i किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । **टीप** 1:– अन्यथा चयन के आधार पर सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/डीएसएसएसबी के विवेक पर शिथिलनीय हैं । **आयु सीमा** : 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप 2**: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। **(ii) पदोन्नतिः** नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –1 (रुपये 18000–56900/ –) में तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से मैट्रिक / बाहरवी कक्षा उत्तीर्ण योग्यता रखने वाले या समकक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूह – ग कर्मचारी से । **टीप –1**: इस पद्धति से चयनित उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति उत्तीर्ण करनी होगी (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट 10,500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुरूप प्रत्येक शब्द के लिए 05 की (Key) दबाने के औसत पर) जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा छूट न दी गई हो। **टीप** –2: दिव्यांगजनों के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता में छूट दी गई है, जो अन्यथा उपरोक्त पद धारण करने के लिए योग्य हैं और जिन्हें समय–समय पर जारी भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों के अनुसरण में

			निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक अक्षमता के कारण टाइप करने में असमर्थ होने के रूप में प्रमाणित किया गया है।

टीप – I सेवा के ग्रेड–II और ग्रेड–IV के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा डीएसएसएसबी द्वारा ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाएगी जो मुख्य सचिव समय–समय पर निर्धारित करें। इस संबंध में परीक्षा आयोजित की जानी वाली तिथियों एवं स्थानों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

टीप – II पदोन्नति के लिए किसी भी अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि उस वर्ष की 01 जनवरी होगी जिसमें रिक्ति हुई है।

टीप–III किसी भी उम्मीदवार को सेवा के ग्रेड–II और ग्रेड–IV के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी चिकित्सा परीक्षा के बाद स्वस्थ घोषित न किया हो तथा उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के पश्चात उसे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त और स्वस्थ घोषित न किया गया हो।

टीप–IV अनुमोदित सूचियों में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल करने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे, कि उम्मीदवार संबंधित ग्रेड में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है और उम्मीदवार को नियुक्ति का वास्तविक प्रस्ताव दिया जाता है।

टीप– V इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, ग्रेड–II और ग्रेड–IV के लिए अनुमोदित सूचियों में शामिल उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में इन ग्रेडों में नियुक्त किया जाएगा।

टीप–VI सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसरण में **दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड** या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

टीप–VII इन नियमों में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) की तिथि, स्थान और तरीका ऐसा होगा जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अनुसूची–III का संशोधन
"उक्त नियमों" के अनुसूची–III को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

अनुसूची–III
[नियम 7 (3) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा में ड्यूटी पदों पर पदोन्नति या स्थाईकरण के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियां ।

क्रम संख्या	**ग्रेड**	**पदोन्नति / स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति /विभागीय स्थाईकरण समिति की संरचना**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	**वरिष्ठ वेतनमान** (रा0रा0क्षे0दि0सर0अधी0से0)	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, दिल्ली – अध्यक्ष 3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सेवाएं) – सदस्य **विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं)– अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त – सदस्य 3. विशेष सचिव (वित्त) – सदस्य
2.	**ग्रेड – I**	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं) – अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त – सदस्य 3. विशेष सचिव (वित्त) – सदस्य
3.	**ग्रेड – II**	**विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय स्थाईकरण समिति**

		1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – अध्यक्ष 2. विशेष सचिव (सेवाएं) – सदस्य 3. विशेष सचिव (गृह) – सदस्य
4.	ग्रेड – III	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (शहरी विकास) – अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव /उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य 3. विशेष सचिव/अपर सचिव /संयुक्त संयुक्त / उप सचिव (लो0नि0वि0) – सदस्य
5.	ग्रेड – IV	**विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. सचिव (प्रशा0सु0) – अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव /उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य 3. विशेष सचिव /अपर सचिव /संयुक्त सचिव / उप सचिव (लो0नि0वि0) – सदस्य

टीपः दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2022 दिनांक 24.05.2022 की अधिसूचना सं. फा. 2(17)/आर.आर./2010/एस –IV/780 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
भैरब दत्त, उप सचिव

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2024

No. F.2(3)/RR/2022/S-IV/2036.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with Union Public Service Commission, is pleased to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022 (as amended from time to time), namely: -

1. **Short title and Amendment**:

(i) These rules may be called the “Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication inthe Official Gazette.

2. Amendment of Rule 2 (Definitions)

In Rule 2 of “the said rules” for existing clause (b) & (e), the following shall be substituted:

"(b)”Appointing authority" in relation to Senior Scale (GNCTDSS) means the “Lt. Governor”, Grade-I and Grade-II means the “Chief Secretary” and in relation to Grade-III and Grade-IV, the “Heads of Department” concerned for the purposes of these rules.”

“(e) “Cadre” means the group of posts of the five grades of service specified in Schedule-I.”

3. Amendment of Rule 3 (Constitutionof Service and its Classification):

In Sub-rule (1) & (2) of Rule 3 of “the said rules”, the following shall be substituted:

"(1) The Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service, consists of following grades, namely:

Senior Scale (GNCTDSS)

Grade-I

Grade-II

Grade- III

Grade-IV"

"(2) The posts in Senior Scale (GNCTDSS) shall be Central Civil Post

Group 'A', (Gazetted), Grade-I shall be Central Civil Service Group 'B', (Gazetted) and Grade-II shall be Central Civil Service Group 'B', (Non- Gazetted) and those in Grades- III and IV shall be Central Civil Service Group-'C' (Non-Gazetted)."

4. Amendment of Rule 7 (Future Maintenance of Service)

In Sub-rule (2) of Rule 7 of "the said rules", the following shall be substituted:

"2 (a) All posts in Senior Scale (GNCTDSS) shall be filled by promotion of officers of Grade-I in the manner specified in Schedule-II in consultation with Union Public Service Commission.

(b) All posts in Grade-I shall be filled by promotion of officers of Grade- II in the manner specified in Schedule-II.

(c) (i) 33% of the posts in Grade-II shall be filled by direct recruitment through an examination on the basis of educational and other qualifications and age limit in the manner specified in Schedule-II.

(ii) 52% of the posts in Grade-II shall be filled by 'promotion' fromofficers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in the manner specified in Schedule-II.

(iii) 15% of the posts in Grade-II shall be filled by Limited Departmental Competitive Exam from officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in the manner specified in Schedule-II.

(d) (i) 85% of the posts in the Grade-III shall be filled by promotion from Grade-IV officials of the service in the manner specifiedin Schedule-II.

(ii) 15% of the posts in Grade-III shall be filled by Limited Departmental Competitive Exam from officers in Grade-IV of the Service, in the manner specified in Schedule-II.

(e) (i) 85% of the posts in the Grade-IV shall be filled by direct recruitment through an examination on the basis of educational and other qualifications and age limit specified in Schedule-II.

(ii) 15% of the posts in the Grade-IV shall be filled by promotion from Group C employees in Level- 1 of the pay matrix in the mannerspecified in Schedule-II."

5. Amendment of Rule 9 (Probation)

In Sub-rule (1) of Rule 9 of "the said rules", the following shall be substituted:

"(1) Every officer on appointment to the Service, either by promotion from Grade-I to Senior Scale (GNCTDSS) or direct recruitment in the Grade-II and Grade-IV or by promotion from Grade-III to Grade-II, shallbe on probation for a period of two years:

Provided that the Appointing Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government of India from time to time:

Provided further that any decision for any extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned member of service together with the reason for so doing within the said period."

6. Amendment of Rule 10 (Appointment to the Service)

In Rule 10 of "the said rules", the following shall be substituted:

"10. Appointment to the Service:

All appointments to the Service shall be made to Senior Scale (GNCTDSS), Grade-I, Grade-II, Grade-III and Grade-IV of the Service and not against any specific post included in the Service."

7. Amendment of Schedule-I

Schedule-I of "the said rules" shall be substituted as under:

SCHEDULE- I

[See rule 3 and rule 4(1)]

The grades, classification, designation, Level in the pay matrix and number of duty posts in the different grades of Government of NCT of Delhi Subordinate Service

S. No	Grades of the Service and Classification	Designation	Level in the Pay Matrix	Numberof Posts*
1.	Senior Scale (GNCTDSS) (Central Civil Post, Ministerial, Gazetted, Group-A)	Sales Tax Officer, Admn. Officer, Registrar (VAT Tribunal), Vigilance Officer, Asstt. Director, Election officer, SDM (HQ), Deputy Secretary, BDO, Secretary to Speaker (DLA), Deputy Director, Assistant Commissioner, Senior Marketing Intelligence Officer, Registrar (State Consumer Redressal Dispute Commission), Registrar (MAMC), Dy. Medical Superintendent (DDU Hospital), Executive Officer (Tibbia College). Dy. Medical Superintendent (GTB Hospital), Public Relation Officer, Superintendent (Boys hostel/girls hostel).	Level-11	217**
2.	Grade-I (Central Civil Service, Ministerial, Gazetted, Group-B)	Section Officer including P.A. to the Chief Secretary, Goods & Service Tax Officer, Inspector Legal Metrology, Food & Supply Officer, Sub Registrar, Tehsildar, Assistant Electoral Registration Officer, Public Relation Officer, Administrative Officer, Assistant Employment Officer, Assistant Entertainment Tax Officer, Assistant Luxury Tax Officer, Marketing Inspecting Officer (MIO), Assistant Commissioner of Industries, Assistant Chief Stamp Auditor (Revenue), Chief Inspector Civil supplies, Assistant Sales Tax Officer, Block Development Officer, Welfare Officer, Assistant Labour Officer and Chief Inspector of Shops/ Inspector Weights and Measures etc.	Level-8 (Rs.47600-151100/-) Non-FunctionalScale: Level-10 (Rs.56100-177500/-) on completion of 4 years of regular service in the grade.	1636
3.	Grade-II (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-B)	Assistant Section Officer, Goods & Service Tax Inspector, Excise and Entertainment Tax Inspector, Naib Tehsildar, Stamp Auditor, Labour Inspector, Inspector (W&M), Senior Inspector, Auditor, Inspector (Marketing), Assistant Inspector Local Offices/ Assistant Inspector Local Funds, Superintendent/ Assistant Superintendent/	Level-7 (Rs.44900-142400/-)	2365

		Assistant Section Officer/Internal Auditor/ Inspector Head Qrs. and allied posts, Head Peshi Clerk, Branch-in-charge (DC Office), Sub-Registrar, Senior Inspector/ Auditor, Estate manager, Inspector Civil Supplies, Assistant Manager Emporium, Inspector Industries/ Land/ Loan/Iron & Steel, Research Assistant, Industrial Inspector, Inspector (Harijan Welfare), Panchyat Inspector, Inspector complaint/Press etc.		
4.	Grade-III (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-C)	Senior Assistant, Reader (Revenue) Sub-Inspector (Excise), Sub-Inspector (RCS), Sub-Inspector (W&M), Sub-Inspector (Labour), Assistant Auditor, Accountant Assistant Superintendent / Head Clerk/ Assistant In-charge/Clerk-in- charge/ Assistant Accountant Auditor/Senior Assistant And allied posts, Auditor/ Inspector/ Evaluation Assistant, Inspector of Shops & Establishment, Labour Welfare Supervisor, Assistant Inspector Weights and Measures/Block Level Extension Officer/ Assistant Gram Ekai Organisation etc.	Level-4 (Rs.25500- 81100/-) Non Functional Selection Grade: Level-6 (Rs.35400-112400/-) on completion of 5 years of regular service in the grade subject to the condition that the total number in the grade will be restricted to 30% of the sanction strength.	4202
5.	Grade-IV (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-C)	Reader, Sub-Inspector (Excise), Junior Auditor, Panchayat Secretary, Junior Assistant/Steno typists and all allied posts, Sub- Inspector/ Organiser/ Junior Auditor, Salesman etc.	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	4245

*Subject to variation dependent upon workload.

**To meet functional requirement of the administration of the GNCTD due to leave/deputation/ training of senior scale officers of GNCTD posted against such 217 posts, the Competent Authority reserves additional 30% of such posts (i.e. 65 posts) for deployment in GNCTD, which may be drawn with prior approval of the Hon'ble Lt. Governor.

Amendment of Annexure-I

Annexure-I of "the said rules" shall be substituted as under:

Department wise details of sanctioned posts in various grades created in the departments under Govt. of NCT of Delhi.

S.NO.	NAME OF THE DEPARTMENT	SANCTIONED STRENGTH IN VARIOUS GRADES				
		Senior Scale (GNCTDSS)	GRADE-I	GRADE-II	GRADE-III	GRADE-IV
1.	A&U TIBBIA COLLEGE AND HOSPITAL	1	1	2	2	1
2.	ARUNA ASAF ALI HOSPITAL	1	0	1	6	12
3.	ACHARYA BIKSHU HOSPITAL	0	1	1	2	5
4.	ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT	2	1	0	0	2
5.	AMBEDKER INSTITUTE OF TECHNOLOGY	0	1	2	6	9
6.	ARCHAEOLOGY	0	0	1	2	2
7.	ARCHIVES	0	0	1	3	3
8.	ART CULTURE & LANGUAGE	0	0	0	0	0
9.	ATTER SAIN HOSPITAL	0	0	0	1	2
10.	AUDIT	0	1	27	47	17
11.	BABU JAGJIVAN RAM HOSPITAL	0	1	1	6	10
12.	BHAGWAN MAHAVIR HOSPITAL	1	1	1	3	6
13.	B.R. SUR (HOMEO) MEDICAL COLLEGE/HOSPITAL	0	1	1	4	5
14.	BABA SAHEB AMBEDKAR HOSPITAL & COLLEGE	2	4	3	16	20
15.	CH. BRAHM PRAKASH GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JAFFARPUR	0	1	2	6	11
16.	CHIEFELECTORAL OFFICE	14	80	72	96	102

17.	FOREST & WILD LIFE	0	4	3	11	11
18.	CHIT FUND	0	2	1	4	2
19.	CENTRAL JAIL	0	15	28	57	79
20.	CHACHA NEHRU BAL CHIKITSALAYA	0	1	2	6	5
21.	COLLEGE OF ARTS	0	1	3	6	7
22.	COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES	0	1	0	0	1
23.	CO-OPERATIVE SOCIETIES	1	3	39	73	142
24.	DADA DEV MATRI AVUM SHISHU CHIKITSALAYA/ MOTHER AND CHILD HOSPITAL, NASIRPUR	0	1	2	2	3
25.	DELHI AGRICULTURAL MARKETING BOARD	0	1	1	12	6
26.	DEEP CHAND BANDHU HOSPITAL	0	1	1	3	5
27.	DIRECTORATE OF CIVIL DEFENCE	0	1	2	13	9
28.	DIVISIONAL COMMISSIONER OFFICE	11	83	109	231	281
29.	DEEN DAYAL UPADHAYAY HOSPITAL	1	3	3	22	23
30.	DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS	0	1	1	5	11
31.	DEVELOPMENT	0	3	6	34	34
32.	DELHI COMMISSION FOR WOMAN	0	1	0	0	6
33.	DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARI	1	1	0	0	0
34.	DELHI FIRE SERVICE	2	0	2	5	31
35.	DIALOGUE AND DEVELOPMENT COMMISSION OF DELHI	2	0	0	0	0
36.	DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE	0	1	1	9	17

37.	DR. HEDGEWAR AROGYA SANSTHAN	0	1	1	3	7
38.	DIRECTORATE OF HOME GUARD	0	1	1	10	13
39.	DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES	2	1	21	52	59
40.	DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY	1	1	4	1	15
41	DIRECTORATE OF AYUSH	0	0	3	4	0
42.	DELHI INSTITUTEOF PHARMACY, SCIENCE AND RESEARCH	0	2	1	3	3
43.	DELHI LOTTERIES	0	0	0	0	8
44.	DIRECTORATE OF INDIAN SYSTEM OFMEDICINES & HOMEOPATHY	0	1	0	0	
45.	DELHI MINORITY COMMISSION	0	0	2	1	2
46.	DELHI STATE CANCER INSTITUTE	1	0	0	0	0
47.	DIRECTORATE OF VIGILANCE	1	2	8	2	10
48.	DRUGS CONTROL	0	0	4	13	12
49.	DIRECTORATE OF SC/ST	0	2	6	10	13
50.	COMMISSION FOR SC/ST/OBC/MIN.	3	1	0	0	0
5l.	DELHI SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD	11	10	17	20	30
52.	DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE	0	4	7	72	59
53	DEPARTEMENT OF TRADE & TAXES	79	149	129	221	299
54.	DIRECTORATE OF EDUCATION	18	945	912	1408	755
55.	EMPLOYMENT	1	24 |	12	29	132

56.	DEPARTMENT OF ENVIRONMENT	1	1	2	3	2
57.	ENVIRONMENT (HORTICULTURE)	0	0	1	4	0
58.	EXCISE	3	5	37	54	28
59.	FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS	3	84	324	133	281
60.	DEPARTMENT OF FOOD SAFETY	0	1	3	26	13
61.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	0	2	4	7	17
62.	GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT	0	25	78	72	121
63.	GB PANT ENGINEERING COLLEGE, OKHLA	0	1	2	6	11
64.	GOVIND BALLABH PANT HOSPITAL	2	1	5	29	44
65.	GURU GOVIND SINGH GOVERNMENT HOSPITAL	0	1	1	4	7
66.	GURU NANAK EYE CENTRE	1	1	1	8	17
67.	GURUTEG BAHADUR HOSPITAL	2	4	7	53	58
68.	DIRECTORATE OF GURUDWARA ELECTION	1	0	1	3	4
69.	HEALTH & FAMILY WELFARE	3	6	11	21	30
70.	HEALTH CENTRE-CUM-MATERNITY HOSPITAL	0	1	1	1	2
71.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION	3	1	6	6	4
72.	IRRIGATION & FLOOD CONTROL	0	5	15	74	99
73.	INDUSTRIES	0	19	69	53	51
74.	INFORMATION TECHNOLOGY	0	1	3	1	2

75.	JAG PARVESH CHANDRA HOSPITAL	1	1	1	3	6
76.	LAND & BUILDING	3	6	24	24	52
77.	LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS	0	2	4	6	10
78.	LABOUR DEPARTMENT	0	5	46	52	65
79.	LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT	6	1	8	12	19
80.	LAL BAHADUR SHASTRI HOSPITAL	0	1	1	7	12
81.	LT. GOVERNOR'S SECRETARIAT	3	10	17	13	10
82.	LOK NAYAK HOSPITAL	1	8	7	42	99
83.	LOKAYUKTA	0	1	2	2	3
84.	MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE	2	1	7	37	48
85.	MAHARISHI BALMIKI HOSPITAL	0	1	1	5	8
86.	BADAN MOHAN MALVIYA HOSPITAL	0	1	1	3	10
87.	NATIONAL CADET CORPS	0	1	15	71	69
88.	N.C. JOSHI HOSPITAL	0	1	1	4	2
89.	NEHRU (HOMEO)MEDICAL COLLEGE/HOSPITAL	0	0	1	5	7
90.	OBC COMMISSION	0	0	0	0	1
91.	DIRECTORATE OF PANCHAYAT	5	2	10	10	0
92.	PRINCIPAL ACCOUNT OFFICE	0	0	95	387	98
93.	PUBLIC GRIEVANCE COM MISSION	0	1	1	6	3
94.	PLANNING DEPARTMENT	0	0	3	3	17

95.	POLICE COMPLAINT AUTHORITY	1	0	0	0	0
96.	POWER DEPARTMENT	1	0	2	3	2
97.	PROHIBITION	0	0	0	2	2
98.	PROSECUTION	0	1	2	2	17
99.	RURAL DEVELOPMENT	0	1	1	3	4
100.	REHABILITATIO N	0	0	4	23	15
101.	RAO TULA RAM HOSPITAL	0	1	1	5	9
102.	STATE ELECTION COMMISSION	0	1	0	0	0
103.	SANJAY GANDHI MEMORIAL HOSPITAL	1	1	3	10	19
104.	SATYAWADI RAJA HARISHCHANDRA HOSPITAL	0	1	1	3	5
105.	SUSHRUTA TRAUMA CENTRRE	0	0	0	2	0
106.	SUPER SPECIALITY HOSPITAL	0	0	0	0	0
107.	SARDAR VALLABH BHAI PATEL HOSPITAL	0	1	1	2	3
108.	TRANSPORT	2	11	21	68	184
109.	TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION	3	27	8	149	181
110.	TOURISM DEPARTMENT	1	1	1	1	1
111.	URBAN DEVELOPME NT (DIRECTORAT E OF LOCAL BODIES}	2	6	5	4	0
112.	URBAN DEVELOPMENT	4	2	30	15	24
113.	UNION TERRITORY CIVIL SERVICES	4	2	2	8	8
114.	WOMEN & CHILD DEVELOPMENT	2	5	7	72	114

115.	WEIGHT & MEASUREMENT	0	12	13	38	15
	Total	217	1636	2365	4202	4245

8. Amendment of Schedule-II

Schedule-II of "the said rules" shall be substituted as under:

SCHEDULE-II

[See Rule 7]

The method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the immediate lower Grade or lower Grades forappointment on promotion of officers to Duty Posts in Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service.

S. No.	Grade	Method of Recruitment	Field of Selection
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Senior Scale (GNCTDSS)	100% by promotion on selection basis	From the Officers of the Service in Grade-I in Level- 8 in the pay matrix (Rs.47,600-1,51,100/-) with eight years' service inthe grade rendered after appointment thereto onregular basis.
2.	Grade-I	100%by promotion on selection basis	From the Officers of the Service in Grade-II in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-) withsix years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
3.	Grade-ll	(i) 33 % by Direct Recruitment (ii) 52% by promotion on Selection basis (iii) 15% by Limited Departmental Competitive (LDCE)	(i) Direct Recruitment- Essential Qualification: Bachelor Degree from a recognized University/ Institute. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.
			B. Age limit: Between 21 - 30 years (relaxable for govt servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by central govt.) Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)/ CompetentAuthority. (ii) Promotion- From officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenuedepartment of GNCT of Delhi in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-) with Eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. (iii) Limited Departmental Competitive Exam (LDCE): Officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in Level-4 (Rs.25500-81100/-) of the Pay Matrix with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis, shall be eligible to appear in the LDCE for appointment tothe post in Grade-II.

4.	Grade-III	(i) 85% by Promotion on selection basis (ii) 15% by Limited Departmental Competitive Exam (LDCE)	(i) Promotion: From officers in Grade-IV of the Service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900- 63200/-) with Six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; promotion on selection basis. (ii) Limited Departmental Competitive Exam (LDCE): Officers in Grade-IV of the Service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis shall be eligible to appear in the LDCE for appointment to the post in Grade-III.
5.	Grade-IV	(i) 85% by Direct Recruitment (ii) 15% by promotion on selection basis	(i) Direct Recruitment: A. Educational and Otherqualifications- Essential Qualification: (i) 12th pass from arecognized Board/Institution. (ii) A typing Speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi onComputer Note 1: - Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in case ofcandidates otherwise well qualified. Age Limit: Between 18-27 years (relaxable for govt. servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by central govt.) Note 2: The crucial date fordetermining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate'Services Selection Board (DSSSB)/ CompetentAuthority. (ii) Promotion: From Group C employees of Government of NCT of Delhi in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the qualification of Matric/12th pass or equivalent from a recognized Board or Institutions. Note-1:The candidates selected by this method shall be required to pass a typing Speed of 35 w.p.m in English OR 30 w.p.m in Hindi on Computer (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10,500 K.D.P.H/9000 K.D.P.H on an average of 05 keydepressions for each word) unless exempted by the Lt. Governor of Delhi. Note-2:The requirement of passing typewriting test is relaxable for physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the aforesaid post and who are certified 'as being unable to type on account of physical disability by the prescribed Medical Board in accordance with the prevailing instructions of Government of India issued from time to time.

Note I: An open competitive examination for direct recruitment tothe post of Grade II and Grade IV Service shall beconducted by the DSSSB at such interval as the ChiefSecretary may determine from time to time. The dates onwhich and the places at which the examination is to beheld shall be fixed by DSSSB in this regard.

Note II: No candidate shall be appointed to the post of Grade II and Grade -IV of the Service unless he/she is declared fit,after such medical examination as the Government may prescribe and to be free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of duties of the Service, unless he/she has already been examined by the Competent Medical Authority at the time of his/her initial appointment and declared fit.

Note III: The inclusion of a candidate's name in the approved lists shall confer no right to appointment unless the AppointingAuthority is satisfied after such enquiry, as he may consider necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the respective grades and anactual offer of appointment is made to the candidate.
Note IV: The dates, place and the manner for the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) referred to in these rules shall be such as may be determined by the DSSSB or recruiting agency approved by the government

Note V: Subject to the provisions of these rules, the candidates included in the approved lists for Grade-II and Grade-IV shall be appointed to these grades in the order of merit.

Note VI: The Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) shall be conducted by DSSSB or any other recruiting agency approved by the government in pursuance of the notification issued in this regard.

Note VII: The dates, place and the manner for the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) referred to in these rules shall be such as may be determined by the DSSSB or recruiting agency approved by the government.

9. Amendment of Schedule-III

Schedule-III of "the said rules" shall be substituted as under:

SCHEDULE-III

[See Rule 7(3)]

Departmental Committees for considering the cases of Promotion or Confirmation to Duty Posts in Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service

S. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee for considering promotion/ confirmation
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Scale (GNCTDSS)	Departmental Promotion Committee (1) Chairperson/Member,UPSC—Chairperson (2) Chief Secretary, Delhi — Member (3) AdditionalChief Secretary/ Principal Secretary /Secretary (Services) — Member Departmental Confirmation Committee (1) Additional Chief Secretary/ PrincipalSecretary/ (Services) -Chairperson (2) Development Commissioner—Member (3) Special Secretary (Finance)-Member
2.	Grade-I	Departmental Promotion Committee (1) Additional Chief Secretary/ PrincipalSecretary/Secretary (Services)— Chairperson (2) Development Commissioner-Member (3) SpecialSecretary (Finance)-Member
3.	Grade-II	Departmental Promotion Committee andDepartmental Confirmation Committee (1) Additional Chief Secretary/ PrincipalSecretary/ Secretary (PWD)— Chairperson (2) Special Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary (Home)-Member

4.	Grade-III	Departmental Promotion Committee (1) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (UD)- Chairperson (2) Additional Secretary/Joint Secretary/ Deputy Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary /Additional Secretary/ Joint Secretary /Deputy Secretary (PWD)- Member
5.	Grade-IV	Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee (1) Secretary (AR)-Chairperson (2) Additional Secretary /Joint Secretary/Deputy Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary /Additional Secretary / Joint Secretary/ DeputySecretary (PWD)- Member

Note : The Govt. of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022 were notified vide notification no. F.2(17)/RR/2010/S-IV/780 dated 24.05.2022, published in the Delhi Gazette-Extraordinary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.

BHAIRAB DUTT, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA